Page No.:
Date:

Constitution

The term Constitution comes from latin (french) word 'constitutio', which means regulations & orders such as imperial enactments. Later the term 'Constitution' was used commonly & refered to set of rules and principles that define the nature and extent of government.

⇒ Constitution : the basic principles & laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it

Need / Importance of Constitution -

1 First & foremost thing for which a Constitution is needed, is to compile the basic rules of life in such a way that it create trust and coordination among members of society.

2. Secondly, it specifically declares the authority who will have decision making ~~so~~ powers and how the govt. to be formed.

3. Constitution limits the law imposing powers of govt. & creates a binding on govt. in case of encroachment of such limits

4. Lastly, it delegate powers to govt. to fulfil expec-tations of citizens & establish a society surrounded with justice and peace.

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

संविधान

संविधान, मूल सिद्धान्तो व नैसर्गिक न्याय से जुड़े स्थापित नियमों का एक समुच्चय है, जिस से कोई भी राज्य या संगठन अभिशासित होता है। संविधान का अंग्रेजी शब्द Constitution है जो लैटिन (फ्रेंच) शब्द Constitutio से बना है और जिसका अर्थ अधिनियम व विधिक आदेश होता है। प्रचलित भाषा में संविधान का अर्थ नियमों का समुच्चय व सिद्धान्तों का समूह है जो किसी सरकार विशेष की शक्तियों का विस्तार समझाते है।

⇒ संविधान : किसी राज्य के मूल सिद्धान्त व कानून जो उस राज्य कि सरकार में निहित शक्तियों व उस राज्य के नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों का विस्तृत वर्णन करता है।

संविधान की आवश्यकता / महत्व -

1. संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।
2. संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी।
3. संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करें। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नही कर सकती।
4. संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

Indian Constitution -

India is a Sovereign (free from external or internal control)
Socialist (where resources are distributed equally among society)
Secular (does not discriminate on the basis of religion)
Democratic (a form of govt. in which political control is exercised by the people)
Republic (we have a constitution drafted by people & it have supreme authority)

also, India have a Parliamentary system of government. It means that executive (ministers) are always answerable for their work to ~~legislative~~ legislature (Parliament). All our laws derived their authority from the ~~people~~ Constitution & Constitution derives its authority from the people.

The Constitution of India came into force on 26th Jan. 1950. It is a comprehensive document containing 395 Articles (divided into 22 parts) & 12 schedules.

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

भारतीय संविधान -

भारत एक - प्रभुत्व सम्पन्न : (जो आन्तरिक व बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है)

- समाजवादी (जिसमें धन-सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियन्त्रण अधीन रहते हैं)
- धर्मनिरपेक्ष (जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात न हो)
- लोकतांत्रिक (लोगों का शासन)
- गणतंत्र (जनता द्वारा बनाया गया संविधान सर्वोपरि है।)

साथ ही यहा सरकार की संसदीय प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका (मंत्रीमण्डल) अपने कार्यों के लिए विधायिका (संसद) के प्रति उत्तरदायी है। हमारे सभी कानूनों को ~~उनका~~ उनका प्राधिकार संविधान से प्राप्त हुआ है और संविधान को उसका प्राधिकार देश के नागरिकों से। भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1950 से लागू हुआ था। इसमें 395 अनुच्छेद है जो 22 भागों में बांटे गए हैं व 12 अनुसूचियां है।

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

अधिकार -

प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के लिए कुछ सुविधाओं या अवसरों की माँग करता है। जिनके माध्यम से वह अपना विकास कर सके। इन अवसरों या सुविधाओं को ही अधिकार कहते हैं।

हैरोल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार :

" अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता "।

बैन और पीटर्स के अनुसार :

" अधिकार की स्थापना एक 'सुस्थापित नियम' द्वारा होती है वह नियम चाहे कानून पर आधारित हो अथवा परंपरा पर।"

अधिकारों के मुख्य प्रकार -

1.) नैतिक अधिकार
2.) कानूनी अधिकार

1) नैतिक अधिकार : नैतिक भावनाओं पर आधारित, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक व इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती परन्तु समाज की सामाजिक शक्ति होती है।

उदा. - शिशु का यह नैतिक अधिकार है कि उसके माता-पिता उसका ख्याल रखें किन्तु ऐसा नहीं करने पर न्यायलय द्वारा उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

2.) कानूनी अधिकार : ये अधिकार व्यक्ति को राज्य द्वारा दिए जाते हैं, व ये अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हैं। इनका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दण्डित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

Basic Structure
आधारभूत ढांचा

Art. 13 अनु.	Art 368 अनु.
↓	↓
Serves as Protector of fundamental rights. मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।	holds the power to amend the Consti-tution संविधान को संशोधित करने की शक्ति रखता है।

इन दोनों अनुच्छेदों के टकराव से कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे —

- क्या संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है?
- क्या संविधान की उद्देशिका को भी संशोधित किया जा सकता है?
- क्या मूल अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है?
- क्या ये संशोधन करने की शक्ति असीमित या निरंकुश है?

⇓

शक्ति का संघर्ष
उच्चतम न्यायालय व संसद

① शंकरी प्रसाद VS. UOI

⇒ 1st Constitutional amendment Act was challenged
⇒ curtailing right to property (F.R.)
⇒ held that Art. 368 includes the power to amend. F.R.

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

(2) Sajjan Singh vs. State of Rajasthan
=) 17th amendmend act was challanged
=) same question & same tussel
=) held : yes the parliament can at any point amend constitution (including fundamental rights)

(3) Golakhnath vs. State of Punjab
=) 17th CAA.
=) question raised that whether the power to amend F.R is unlimited or limited
=) 11 judge bench constituted for first time
=) refered to Art. 13(2) court held that the power is not unlimited & is subject to judicial review

Scanned by CamScanner

National Commission for Women –

- It is a unit of government of India which takes cognizance on matters relating to women in India (either on complaint or suo-moto) and ensure implementation of constitutional & legal rights of women.
- It is the statutory body constituted under the provisions of National Commission for women Act 1990.
- This commission aims at advocating the rights of women & acting on their behalf.

→ Functions – (According to sec. 10 of the Act)

- Investigate & examine all matters relating to safeguards provided for women under constitution & other laws. Also presenting
- it to Central government as & when required
- make recommendations for effective implementations of such safeguards necessary for improving the condition of women in society.
- take up cases of violation of the provisions of the constitution & other laws relating to women with the appropriate authorities.
- look into complaints & take suo moto notice of matters relating to:
  - deprivation of women's rights
  - non-implementation of laws enacted to provide protection to women and also to achieve the objective of equality & development
  - non-compliance of policy decision, guidelines or instructions aimed at mitigating hardship and ensuring welfare & providing relief to women.

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

- Participate & advice on the planning process of socio-economic development of women

Composition -
- The Commission consists of a chairperson, a member secretary & five other members. All nominated by Central govt.
- The member secretary should be an expert in the field of management.
- The five other members nominated by Central govt. should be individuals with ability, standing & integrity. They should have experience in law, legislation, management, women voluntary organisation, economic social development & so on.

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

राष्ट्रीय महिला आयोग →

- भारत सरकार की ऐसी इकाई जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
- यह भारतीय संसद द्वारा 1990 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना व उनसे जुड़े मुद्दों को आवाज प्रदान करना।
- राष्ट्रीय महिला आयोग में 5 सदस्यों के लिए पद होते हैं (एक अध्यक्ष)

आयोग के कार्य व अधिकार →

- आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षापायों की जांच और परीक्षा करना। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना।
- इनके अलावा संशोधन की शिकायत करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता तथा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना।
- शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से सम्बंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकरणों / प्राधिकारियों के साथ जुड़े मुद्दों को उठाना।
- भेदभाव व महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाले विशिष्ट ~~समस्या~~ समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी देना।
- साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहाँ महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, आदि का निरीक्षण करना और ~~जहा~~ जहाँ आवश्यक ~~उप~~उपचारात्मक कार्यवाही की मांग करना।

Scanned by CamScanner

Page No.:
Date:

– राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त है।

आयोग के सदस्य →

1.) महिलाओं के हित के लिए समर्पित एक अध्यक्ष, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

2.) पाँच सदस्य, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो योग्य, एकीकृत और स्थायी हो और कानून अथवा विधान, व्यापार संघ, महिलाओं की उद्यमिता प्रबन्धन, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान (महिला कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण का अनुभव रखा हो; बशर्ते कम से कम एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होंगे।

3.) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेम्बर-सेक्रेटरी जो:

i. प्रबन्धन, संगठनात्मक संरचना अथवा समाजशास्त्रीय गतिविधियों के विशेषज्ञ होंगे, अथवा

ii. एक अधिकारी जो यूनियन के सिविल सर्विस अथवा अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य होंगे अथवा जो उपयुक्त अनुभव रखते हो।

Scanned by CamScanner

52nd

Dr. J.N. PANDEY

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA

CENTRAL LAW AGENCY

Scanned by CamScanner

भारत सरकार (विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय) द्वारा पुरस्कृत

डॉ॰ जय नारायण पाण्डेय

भारत का संविधान

(CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA)

CENTRAL LAW AGENCY

Scanned by CamScanner